

नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में गति की आवश्यकता

यह एडिटरियल 23/04/2025 को हदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “[Why India's renewable energy targets are insufficient](#)” पर आधारित है। इस लेख में भारत के वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों को सामने लाया गया है, जो आपूर्ति-मांग असंतुलन, सौर-अतिनिर्भरता और विविध ऊर्जा स्रोतों एवं गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

प्रलम्ब के लिये:

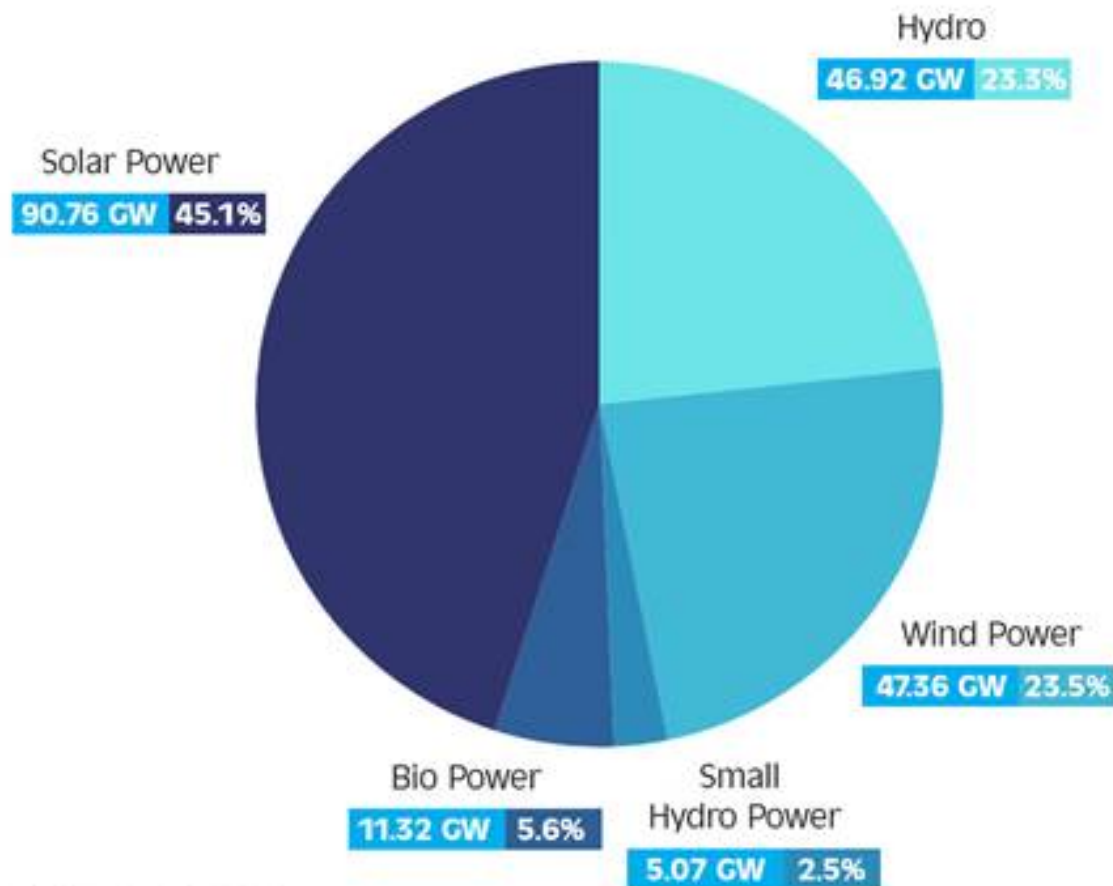
[भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा मिशन, PM-KUSUM, PM JI-VAN योजना, बायोएथेनॉल](#)

मेन्स के लिये:

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे।

भारत का वर्ष 2030 तक [500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य](#) महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा की मांग को पूरा करने में अक्षय ऊर्जा वृद्धि में लगभग 12% कमी आई है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन समय और वास्तविक मांग के बीच असंतुलन के कारण अधिशेष एवं घाटे दोनों की अवधि बनती है, विशेषकर तब जब सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा मिशन पर हावी हो जाती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये अधिक संतुलित सौर-पवन पोर्टफोलियो, बेहतर क्षमता उपयोग के साथ त्वरित अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और डिमांड पैटर्न को बदलने के लिये समय-समय पर बजिली मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है।

Renewable Energy Capacity in India



As of October 10, 2024

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास क्या हैं?

- **सौर ऊर्जा क्षमता का वसितार:** प्रभावी सरकारी नीतियों और अनुकूल निवेश स्थितियों के कारण भारत की **सौर ऊर्जा** क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
 - वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** के लक्ष्य के साथ, सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो **भारत की नवीकरणीय ऊर्जा** का 44% हिस्सा है।
 - अक्टूबर 2024 तक भारत ने **90.76 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित** कर ली है, जो वर्ष 2014 की क्षमता से **26 गुना अधिक** है।
 - मार्च 2025 तक सौर क्षमता **170 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान** है, जिससे सौर ऊर्जा में भारत की अग्रणी स्थिति मज़बूत होगी।
- **ग्रीन हाइड्रोजन की ओर संक्रमण:** भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर दौंव लगा रहा है। वर्ष 2024 में **600 करोड़ रुपए के वित्तपोषण** के साथ शुरू किये गए **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** का उद्देश्य **भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक अभिकर्ता बनाना** है।
 - **वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य के अनुरूप** है। उदाहरण के लिये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2025 तक 2 गीगावाट उत्पादन के लिये ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे **ग्रीन हाइड्रोजन को एक संधारणीय ईंधन** के रूप में स्थापित किया जा सके।
- **नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में वृद्धि:** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की व्यवहार्यता को बल मिला है।
 - वर्ष 2000-2023 के दौरान **गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में FDI प्रवाह 15.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जो बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

- अकेले वर्ष 2024 में, नवीकरणीय ऊर्जा में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के नविश के साथ, 83% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **बुरुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट सहित** वैश्विक भागीदारों की प्रतबिद्धता, वैश्विक नवीकरणीय नविश केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करती है।
- **पम्प स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):** ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने और नवीकरणीय एकीकरण का समर्थन करने के लिये, भारत पम्प स्टोरेज और **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)** पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
 - लद्दाख में 12,000 मेगावाट BESS के साथ 13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सरकार की मंजूरी, भंडारण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
 - तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पम्प भंडारण परियोजनाओं की शुरुआत, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 4-6 गीगावाट क्षमता जोड़ना है, दीर्घावधि भंडारण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा पार्क:** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वर्ष 2024 तक कुल 40 गीगावाट क्षमता वाले 59 **सौर पार्क** स्वीकृत किये गए हैं।
 - ये पार्क बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा प्रतियोगिताओं के लिये आवश्यक बुनियादी अवसंरचना प्रदान करते हैं।
 - गुजरात में 30 गीगावाट की **हाइब्रिड सौर-पवन परियोजना**, जो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनने वाली है, ऐसी बड़े पैमाने की पहल का एक उदाहरण है।
 - इन पार्कों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समेकित करके, भारत का लक्ष्यभूमि अधिग्रहण के मुद्दों को कम करना और बजिली उत्पादन को सुव्यवस्थित करना है।
- **ग्रामीण वित्तीयीकरण और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE):** भारत की **विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE)** पहल ग्रामीण वित्तीयीकरण के लिये महत्वपूर्ण है, जहाँ ग्रिड तक पहुँच सीमित है।
 - **PM-KUSUM** जैसे कार्यक्रमों ने 140 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए हैं, जिससे ग्रामीण ऊर्जा सुगम्यता में काफी वृद्धि हुई है।
 - इसके अलावा, **ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स- 2022** को किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सुलभ बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक सहयोग:** वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** में अपनी भूमिका से मजबूत हुआ है, जिसमें अब 120 से अधिक देश शामिल हैं।
 - विश्व भर में सौर ऊर्जा के अंगीकरण के लिये ISA के प्रयास भारत के वर्ष 2030 तक अपनी सौर क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।
 - ISA के माध्यम से भारत की सामरिक भागीदारी सदस्य देशों के लिये सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करती है।
- **जैव-ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा पहल में प्रगति:** भारत जैव ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तथा उसकी परियोजनाएँ बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित हैं।
 - **2G बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिये 908 करोड़ रुपए आवंटित करने वाली PM JI-VAN योजना** भारत में जैव ऊर्जा विकास को आगे बढ़ा रही है।
 - जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.32 गीगावाट है तथा **दिल्ली में अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र** जैसी परियोजनाएँ महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं।
- **पवन ऊर्जा-तटीय और अपतटीय विकास:** भारत तटवर्ती और अपतटीय विकास में अपनी पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है।
 - वर्ष 2024 में, भारत **तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान** जैसे राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं के साथ 47.2 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता तक पहुँच जाएगा।
 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता लगभग 70 गीगावाट है, जो गुजरात (36 गीगावाट) और तमिलनाडु (35 गीगावाट) के बीच वितरित है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **अन्तराल और ग्रिड एकीकरण चुनौती:** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर और पवन, की अन्तराल प्रकृतग्रिड स्थिरता के लिये महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।
 - इस रुकावट के लिये **सुदृढ़ ऊर्जा भंडारण समाधान और बेहतर ग्रिड बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता** है।
 - उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2024 में देश की सौर और पवन क्षमता कुल नवीकरणीय क्षमता का 44% थी, लेकिन ये स्रोत अभी भी ग्रिड एकीकरण के मुद्दों का सामना कर रहे हैं।
- **भूमि अधिग्रहण और बुनियादी अवसंरचना की अड़चनें:** बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे सौर पार्क और पवन फार्मों के लिये भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
 - **जटिल भूमि नीति, अनुमोदन में विलंब और स्थानीय वसिंध परियोजनाओं के समय पर क्रयान्वयन में बाधा** डालते हैं।
 - उदाहरण के लिये, **राजस्थान और गुजरात**, जो सौर एवं पवन ऊर्जा के लिये महत्वपूर्ण हैं, वहाँ भूमि उपयोग संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं।
- **आयातित सौर घटकों पर उच्च निर्भरता:** भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, सौर सेल और मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
 - यह निर्भरता न केवल **लागत प्रतस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती है**, बल्कि भारत को भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति भी उजागर करती है।
 - सत्र 2023-24 में, भारत ने 7 बिलियन डॉलर मूल्य के सौर उपकरण आयात किये, जिसमें से 62.6% की आपूर्ति चीन द्वारा (हालाँकि हाल ही में इसमें गिरावट आई है) की गई।

- **वित्तपोषण और नविश की कमी:** यद्यपि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में नविश बढ़ रहा है, फिर भी इस क्षेत्र को उच्च पूंजीगत व्यय और दीर्घकालिक परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के कारण वित्तपोषण संबंधी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 2032 तक वार्षिक वित्त प्रवाह को लगभग 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना आवश्यक है।
 - वर्ष 2024 में अनुमानित 16.5 बिलियन डॉलर के नविश के बावजूद, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कई छोटी परियोजनाओं को वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
 - यह मुद्दा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक लक्ष्य को प्रभावित करता है।
- **वित्तपोषण और नीतिगत अनिश्चितता:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में नीतिगत अस्थिरता और असंगत वित्तपोषण का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उद्योग के एकसमान विकास में बाधा आ रही है।
 - सौर टैरिफ, कराधान नीतियों और ग्रिड कोड में लगातार परिवर्तन अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं, जिससे नविशकों के लिये दीर्घकालिक नविश की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।
 - उदाहरण के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा को सुवर्धित बनाने के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफी की शुरुआत की गई है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में असंगत है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव:** यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को भी जन्म देती है।
 - जलविद्युत और सौर पार्क जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाएँ कभी-कभी स्थानीय समुदायों को वसिस्थापित कर देती हैं या सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर देती हैं।
 - तमिलनाडु में सलिलाहल्ला जलविद्युत परियोजना ने जैवविविधता के ह्रास और सामुदायिक वसिस्थापन पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
 - चुनौती स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता को स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ संतुलित करने में नहिती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में जल का उपयोग:** कुछ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं, विशेष रूप से बायोमास और जैव ईंधन में जल की खपत, इस क्षेत्र के वाटर फूटप्रिंट के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।
 - भारत पहले से ही कई राज्यों में जल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है तथा जल-गहन नवीकरणीय परियोजनाओं के वसितार से ये समस्याएँ और भी बढ़ सकती हैं।
 - उदाहरण के लिये, फसलों से बायोएथेनॉल उत्पादन में महत्त्वपूर्ण जल संसाधनों का उपयोग होता है। हालाँकि PM JI-VAN योजना जैसी पहल संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन का समर्थन करती है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में जल-कुशल प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है।
- **रूफ टॉप सोलर एनर्जी एडॉप्शन की धीमी गति:** यद्यपि रूफ टॉप सोलर पैनल को इनस्टॉल करना नवीकरणीय ऊर्जा के विकेंद्रीकरण के लिये एक प्रमुख रणनीति है, फिर भी भारत में इसके अंगीकरण की गति धीमी रही है।
 - उच्च प्रारंभिक लागत, जागरूकता की कमी और खंडित राज्य स्तरीय नीतियाँ महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं।
 - भारत के रूफटॉप सोलर पैनल कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करना था, जो वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है।
 - हालाँकि, 40 गीगावाट का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और समय सीमा वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई।
- **सीमिति ऊर्जा भंडारण क्षमता:** ऊर्जा भंडारण, विशेष रूप से बैटरी भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चित प्रकृति में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, बैटरी भंडारण क्षमता सीमिति बनी हुई है, जिससे सौर या पवन ऊर्जा के चरम समय के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बजिली को संग्रहित करना कठिनाई हो जाता है।
 - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP)- 2023 के अनुसार, सत्र 2026-27 में ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता 82.37 गीगावाट घंटा होने का अनुमान है।

बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये भारत नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण को कसि प्रकार गति दे सकता है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये, भारत को अपनी ऊर्जा संचरण और भंडारण अवसंरचना के निर्माण एवं आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - स्मार्ट ग्रिडों का वसितार करने और पम्प स्टोरेज प्रणालियों में नविश करने से ग्रिड का लचीलापन बढ़ेगा तथा ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का निरबाध एकीकरण संभव होगा।
 - इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को उन्नत किया जाए, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों तक बजिली वितरण को सुगम बनाया जा सके।
 - लघियम-आयन बैटरी जैसे ऊर्जा भंडारण समाधानों को प्राथमिकता देने से सौर और पवन ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट की समस्या का समाधान होगा तथा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- **भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** एकल खंडिकी मंजूरी के माध्यम से भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये समर्पित भूमि बैंक प्रदान करना विकास को गति दे सकता है।
 - इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पर्यावरणीय और वित्तपोषण अनुमोदन में तेजी लाने से नौकरशाही संबंधी देरी कम होगी, जिससे स्थिरता मानकों का अनुपालन करते हुए परियोजनाओं की शीघ्र शुरुआत हो सकेगी।
- **वित्तीय सहायता तंत्र को बढ़ाना:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये सुलभ और कफायती वित्तपोषण उपलब्ध कराना, विशेष रूप से छोटे डेवलपर्स के लिये, महत्त्वपूर्ण है।
 - हरति बांड और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण योजनाओं का वसितार घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के नविशों को आकर्षित

करेगा।

- इसके अतिरिक्त, सरकार सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के वनिरिमाण में संलग्न लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को सब्सिडी या कर प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जिससे घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा मल्लगा तथा आयात पर नरिभरता कम होगी।
- **वकिंदरीकृत ऊरजा समाधान को बढ़ावा देना:** वकिंदरीकृत नवीकरणीय ऊरजा प्रणालियों, जैसे किरूफ टॉप सोलर पैनल और माइक्रोगरडि को प्रोत्साहति करने से ऊरजा भार को वतिरति करने एवं केंदरीकृत ग्रडि पर दबाव को कम करने में मदद मल्लगी।
 - **स्थानीयकृत समाधान** दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को ऊरजा उत्पन्न करने तथा उपभोग करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वे अधिक ऊरजा-सक्षम बनते हैं।
- **परविहन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊरजा का वसितार:** परविहन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊरजा को एकीकृत करने से कार्बन उत्सरजन एवं ऊरजा की मांग में काफी कमी आ सकती है।
 - **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के अंगीकरण** को बढ़ावा देने के साथ-साथ नवीकरणीय स्रोतों से संचालति EV चार्जिंग बुनियादी अवसरचना के वसितार से जीवाश्म ईधन की खपत को कम करने में मदद मल्लगी।
- **सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) को मज़बूत करना:** सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहति करने से नवीकरणीय ऊरजा नवाचार और परयोजना नषिपादन को बढ़ावा मलि सकता है।
 - नजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके सरकार नवीकरणीय ऊरजा परयोजनाओं को बढ़ाने के लयि नजी पूंजी और वशिषज्जता का लाभ उठा सकती है।
 - **स्पष्ट नीतगित कार्यढाँचे, कर छूट और गारंटीकृत बजिली खरीद समझौते (PPA)** की पेशकश से बड़े पैमाने एवं ऑफ-ग्रडि नवीकरणीय परयोजनाओं में दीर्घकालिक नविश को बढ़ावा मल्लगा।
- **स्वच्छ ऊरजा में अनुसंधान और वकिस को बढ़ावा देना:** भारत को उभरती हुई नवीकरणीय प्रौद्योगकियों, जैसे फ्लोटगि सोलर और अपतटीय पवन ऊरजा में अनुसंधान और वकिस (R&D) पर अपना ध्यान केंदरति करना चाहयि।
 - स्वच्छ ऊरजा स्टार्टअप के लयि नवाचार केंद्रों का नरिमाण और अंतर्राष्टरीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहति करने से ऊरजा उत्पादन एवं खपत को अनुकूलति करने के लयि नए समाधानों को बढ़ावा मल्लगा।
 - **अनुसंधान एवं वकिस अनुदान** तथा **पेटेंट संरक्षण** के माध्यम से नजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहति करने से यह सुनश्चिति होगा कि भारत स्वच्छ ऊरजा प्रगति में अग्रणी बना रहेगा।
- **वनिरिमाण और आपूर्ति शृंखलाओं का स्थानीयकरण:** आयात पर नरिभरता कम करने के लयि, भारत को **अक्षय ऊरजा वनिरिमाण के स्थानीयकरण** पर ध्यान केंदरति करना चाहयि। इसमें **सोलर पैनल, बैटरी और पवन टर्बाइन** जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लयि घरेलू आपूर्ति शृंखलाएँ स्थापति करना शामिल है।
 - **PLI योजना का वसितार** बड़े पैमाने पर वनिरिमाण केंद्रों को समर्थन देने, रोज़गार उपलब्ध कराने और वैश्विक नवीकरणीय ऊरजा बाज़ार में देश की प्रतस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लयि कयिा जा सकता है।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. "वरष 2030 तक भारत का 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईधन कषमता प्रापूत करने का लकष्य महत्त्वाकांक्षी है, लेकिन इसमें संरचनात्मक और तकनीकी बाधाएँ हैं"। भारत के नवीकरणीय ऊरजा क्षेत्र में प्रमुख वकिस और संबंधति चुनौतियों का परीक्षण कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न 1. भारतीय अक्षय ऊरजा वकिस एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।
2. यह एक गैर-बैंकगि वतितीय कंपनी है।

नीचे ददि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न 1. "वहनीय (ऐफोरडेबल), वशि्वसनीय, धारणीय तथा आधुनकि ऊरजा तक पहुँच सतत् (सस्टेनबल) वकिस लकष्यों (एस.डी.जी.) को प्रापूत करने के लयि अनवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टपिपणी कीजयि। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/accelerating-renewable-energy-adoption>

